न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 81 /2025/सी.जे.एम./जी.बी.एन., दिनांक–31.05.2025

आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर में न्यायिक अधिकारीगण/मजिस्ट्रेटगण के कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप समस्त थाना क्षेत्राधिकार के परीक्षण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में त्वरित न्यायालय एवं प्रशासनिक अत्यावश्यकताओ को सुनिश्चित करतें हुए निम्न अनुसार कार्य वितरण कुशल प्रशासन को ध्यान में रखतें हुए किया जाता है –

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सम्बन्धित थाना एवं कार्यभार का विवरण
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	थाना–फेस–1, सैक्टर–113, सैक्टर–20, सैक्टर–39, बिसरख, सैक्टर–63, नॉलेज पार्क, साईबर क्राईम एवं आई.टी.एक्ट, जिले के समस्त थानों से सम्बन्धित धारा–302, 304बी., 304 व 396 भा0द0सं0 के मामले, राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्थानीय निगमित निकायों के अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध भा0द0सं0 के अधीन समस्त पुलिस चालानी वाद एवं सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित परिवाद तथा आबकारी विभाग द्वारा योजित चालनी मामले एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम (आर्थिक अपराध को छोड़कर) चालानी मामले एवं समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित ट्रफिक पुलिस चालानी मामले।
2	प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	थाना–बीटा–2, फेस–3, सैक्टर–24, जारचा, सैक्टर–142, ए0एच0टी0ओ0 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा वन विभाग द्वारा योजित सम्पूर्ण जनपद के वन अधिनियम के मामले, सम्पूर्ण जिले के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित मामले व मोटर यान अधिनियम के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित सभी मामले, एन.डी.पी.एस. एक्ट के पुलिस चालानी वाद मामले तथा गौवध अधिनियम से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले एवं रबूपुरा, जेवर से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले

Scanned with OKEN Scanner

3	अपर सिविल जज (सी०डि०)–1 / ए.सी. जे.एम., गौतमबुद्धनगर	थाना–दादरी गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद मामले एवं साईबर काईम, आई.टी.एक्ट से सम्बन्धित रिलीज मामले।
4	द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	थाना–दनकौर, सैक्टर–126, सूरजपुर, कासना (ग्रेटर नोएडा / साईट–5) गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी मामले
5	तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त
6	अपर सिविल जज(सीनियर डिविजन) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2 गौतमबुद्धनगर।	रिक्ट
7	अपर सिविल जज(सीनियर डिविजन) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–3 गौतमबुद्धनगर।	रिक्त
8	सिविल जज(सीनियर डिविजन) / त्वरित न्यायालय, गौतमबुद्धनगर।	थाना– एक्सप्रेस–वे एवं फेस–2 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।
9	सिविल जज(जूनियर डिविजन) / जे०एम०, जेवर, गौतमबुद्धनगर।	थाना जेवर, रबूपुरा से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय मामलो को छोडकर समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी।
10	न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड का पूर्ण दिवसीय कार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार निष्पादित कर रहे है।
11	अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या–1 गौतमबुद्धनगर	थाना–इकोटेक–3, थाना–सैक्टर–58, सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद एवं थाना–फेस–1, नॉलेज पार्क, बिसरख ,सैक्टर–20 से सम्बन्धित परिवाद मामले।

Scanned with OKEN Scanner

12	अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–2, गौतमबुद्धनगर	थाना– सैक्टर–49, सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा थाना–सैक्टर–113, सैक्टर–39 से सम्बन्धित परिवाद मामले।
13	अपर सिविल जज (जू0डि0)–3 गौतमबुद्धनगर	रिक्त
14	न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी.–1 (Newly created court under the scheme of 14th Finance Commission), गौतमबुद्धनगर।	थाना–बादलपुर, इकोटेक–1, सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा थाना–सैक्टर–63 से सम्बन्धित परिवाद मामले।
15	न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी.–2 (Newly created court for Trying cases of crime against women), गौतमबुद्धनगर।	महिला थाना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं थाना जेवर एवं रबूपुरा को छोडकर जनपद के घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित परिवाद मामले।

नोट :–

1– न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)–1/ए.सी.जे.एम., गौतमबुद्धनगर में थाना दादरी से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद के मामले रहेंगे, किंतु बाईक बोट से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं प्रकीर्ण वाद मामले न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर में ही विचारण हेतु लम्बित रहेगें।

2– उपर्युक्त थाने के क्षेत्राधिकार के अधीन आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, कॉपी राईट तथा मोटरयान के अधीन पुलिस चालानी मामले सम्बन्धित न्यायालय में योजित, परिक्षित व निस्तारित किये जायेंगे।

3– ऐसे अन्य सभी फौजदारी मामले, जो उर्पयुक्त वर्णित किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, में योजित किये जायेंगे।

4– जो पत्रावलियॉ माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा पारित आदेश से किसी न्यायालय में स्थानांतरित की गयी हैं, उक्त पत्रावलियां उसी न्यायालय में यथावत रहेंगी। यदि वह न्यायालय रिक्त हो गया है, तो उन पत्रावलियों की सूची यथाशीघ्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई जाये, जिससे कि पत्रावलियों के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित हो सके।

5– न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)–3 गौतमबुद्धनगर, न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी.–1 (Newly created court under the scheme of 14th Finance Commission), गौतमबुद्धनगर एवं न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी.–2 (Newly created court for Trying

Scanned with OKEN Scanner

cases of crime against women), गौतमबुद्धनगर में लंबित धारा–138 एन. आई.एक्ट की पत्रावलियां अभियोग के सारांश/बयान मुल्जिम के स्तर तक ही लंबित रहेंगी, अभियोग के सारांश/बयान मुल्जिम विरचित होने के पश्चात संबंधित न्यायालय उक्त पत्रावलियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक–31.05.2025

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर को अनुमोदनार्थ 'सादर' प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर।
5. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन, जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
7. जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर के समस्त मजिस्ट्रेट, न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
8. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि समस्त थाना को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
9. कार्यालय माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक–31.05.2025

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner